



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 2536 / निदे०(मा०सं०) / उपाकालि / औ०सं० / उ०पा०जू०ई०ए० दिनांक: 26-07-2019

### नोटिस

श्री .....  
.....  
..... |

अवगत कराना है कि प्रोन्नत एवं नव नियुक्त अवर अभियन्ता (वि० एवं या०) एवं सहायक अभियन्ताओं (वि० एवं या०) की ज्येष्ठा के सम्बन्ध में कारपोरेशन पत्रांक 2358 / निदे०(मा०सं०) / उपाकालि / दिनांक 16.07.2019 से उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को अपने दो-दो प्रतिनिधियों सहित दिनांक 17.07.2019 को अपराहन 4:30 बजे कारपोरेशन मुख्यालय में अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता में हो रहे पारस्परिक विवादों के समाधान पर संयुक्त रूप से चर्चा के लिए वार्ता हेतु आमन्त्रित किया गया था। उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन से संयुक्त रूप से वार्ता करने के स्थान पर अलग से वार्ता किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए प्रबन्धन द्वारा दोनों एसोसिएशनों के साथ अलग-अलग वार्ता भी की गयी।

दिनांक 17.07.2019 को उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता में प्रबन्धन द्वारा दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों से पदोन्नति / ज्येष्ठा के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी तथा अवगत कराया गया था कि अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विभिन्न वाद माननीय न्यायालय / न्यायाधिकरण में लम्बित / निर्णित है। माननीय न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित / अन्तरिम आदेश के अनुपालन में वर्तमान में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है, जिस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक है :-

1. मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा क्लेम पिटीशन सं०-01 / NB/DB/2017 (राहुल चानना व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निम्न आदेश पारित किये गये:-

“The Petition is disposed of with the direction that the petitioners may submit the copy of their objections before the department and its committee, constituted for settling the seniority within a period of 15 days and the respondent department will decide their seniority finally, after considering the objections of the petitioner in accordance with provisions of law, as expeditiously as possible and without finally settling the seniority of the Assistant Engineers, next promotional exercise should not be undertaken”

2. माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या 20 / 2009 उपाकालि बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य में दिये गये निर्णय के उपरान्त निर्गत अन्ततिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.08.2012 के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों की भी समीक्षा की जानी है।
3. कारपोरेशन द्वारा दायर याचिका सं० 470 / 2016 उपाकालि बनाम बी०एम० भट्ट व अन्य में दायर याचिका में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 13.12.2017 में दिये गये अन्तरिम आदेश में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं की प्रशिक्षण अवधि को घटाते हुए वरिष्ठता सूची तैयार कर मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देशों की समरूपता में अवर अभियन्ताओं का भी प्रशिक्षण अवधि को भी घटाते हुए वरिष्ठता निर्धारित किया जाना है।
4. याचिका संख्या-875 / 2017 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.04.2019 को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है।

क्रमशः :- 02

इस प्रकार दोनों एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के उचित निस्तारण हेतु प्रकरण विस्तृत रूप से परीक्षण के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की समिति को प्रस्तुत करने की सहमति बनी थी।

उक्तानुसार बनी सहमति के क्रम में कारपोरेशन जाप संख्या 2465-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 22.07.2019 के द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों की कमेटी गठित की गयी, जिसमें सदस्य नामित किए गए :-

1. निदेशक (परिचालन), उपाकालि।
2. निदेशक (मानव संसाधन), उपाकालि।
3. निदेशक (परियोजना), उपाकालि।
4. निदेशक (वित्त), उपाकालि।
5. महाप्रबन्धक (विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि।

पूर्णकालिक निदेशकों की गठित कमेटी द्वारा दिनांक 23.07.2019 को बैठक की गयी, बैठक में प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों द्वारा कमेटी के समक्ष निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये गये :-

1. माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधीकरण के सम्बन्धित रिट/आदेश/अन्तरिम आदेश :-

| क्र0 | विवरण                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | High Court Order dt. 09-05-2012 in 20/ 2009 in case of Rakesh Sharma & Others Vs State of UK & Others. ( Special Appeal No. 20/ 2009)                |
| 2    | High Court Order dt. 24-04-2017 in case of Ashok Kumar & Others Vs State of UK & Others (Writ No. 875/ 2017)                                         |
| 3    | Service Tribunal Order dt. 24-05-19 in case of Navneet Chauhan Vs State of UK & Others ( Case No. - 50/DB/2019)                                      |
| 4    | Service Tribunal Order dt. 22-05-19 in case of Rahul Channa & Others Vs. State of UK & Others ( Case No. - 01/ NB/DB/ 2017)                          |
| 5    | Apex Court Order dt. 07-05-2010 in case of Harish Maganlal Bajal & Others Vs. State of Maharashtra & Others. ( Case No. - 2010 INSC 367)             |
| 6    | Apex Order dt. 26-04-2012 in SLP 18754/ 2012 In case of SDS Bisht & Others Vs UPCL & Others. ( Case No. - SLP - 18754/ 2012)                         |
| 7    | High Court Order dt. 26-04-2012 in case of SDS Bisht & Others Vs UPCL & Others. ( Case No. - 301 /2011(S/B)                                          |
| 8    | Service Tribunal Order dt. 09-11-2016 in case of B.M. Bhatt & Others Vs State of UK & Others. ( Case No. - 01/NB/DB/2015)                            |
| 9    | Service Tribunal Order dt. 07-11-2017 in case of B.M. Bhatt & Others Vs State of UK & Others. ( Case No. - 01/NB/DB/2015)                            |
| 10   | High Court Interim Order dt. 13-12-17 in WPSB 579 of 2017 in case of UPCL Vs. B.M. Bhatt & Others.                                                   |
| 11   | High Court Order dt. 26-04-18 in WPSB 579 of 2017 UPCL Vs B.M. Bhatt & Others. ( Case No. - WP S/B- 579/ 2019 in case of UPCL Vs B.M Bhatt & others) |
| 12   | UPSEB Sewak Seniority Regulation 1998                                                                                                                |
| 13   | Service of Engineers Regulations 1970                                                                                                                |
| 14   | Subordinate Electrical and Mechanical Engineering Service Regulation 1972                                                                            |

2. उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन और उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन व प्रबन्धन के मध्य हुये पत्राचार/कार्यवृत्त की प्रतियाँ :-

| क्र0 | विवरण                                                                                                                                                           | पत्रांक/ दिनांक                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.   | उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किये जाने वाले सांकेतिक सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में श्री ठा0 प्रहलाद सिंह, मुख्य संयोजक को प्रेषित पत्र। | पत्रांक-2469/निदे0(मा0सं0) दिनांक 22.07.2019 |

**क्रमशः :- 03**

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.  | उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किये जाने वाले सांकेतिक सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में डा० प्रहलाद सिंह, मुख्य संयोजक, उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा का पत्र।                               | पत्रांक-133/<br>दिनांक 18.07.2019                                   |
| 3.  | अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा की गयी आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र। | पत्रांक-2468/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 22.07.2019                     |
| 4.  | अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा की गयी आन्दोलन के अगले चरण की घोषणा के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।         | पत्रांक-291/उ०पा०जू०ई०ऐ०<br>दिनांक 20.07.2019                       |
| 5.  | 17.07.2019 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच वार्ता का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र।                                   | पत्रांक-2467/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 22.07.2019                     |
| 6.  | 17.07.2019 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच वार्ता का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।                                    | पत्रांक-288/उ०पा०जू०ई०ऐ०<br>दिनांक 19.07.2019                       |
| 7.  | अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति व वरिष्ठता के सम्बन्ध में कमेटी का गठन।                                                                                                       | पत्रांक-2465/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 22.07.2019                     |
| 8.  | दिनांक 24.06.2019 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के मध्य आयोजित वार्ता का कार्यवृत्त।                                                                                               | पत्रांक-147/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/UPJEA<br>दिनांक 19.07.2019 |
| 9.  | अवर अभियन्ता संवर्ग द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे सांकेतिक सत्याग्रह के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।                                                                                   | पत्रांक-289/उ०पा०जू०ई०ऐ०<br>दिनांक 19.07.2019                       |
| 10. | उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे अवैधानिक धरना प्रदर्शन/आन्दोलन के सम्बन्ध में समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रेषित पत्र।                                                        | पत्रांक-2415/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 18.07.2019                     |
| 11. | उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० प्रबन्धन के मध्य दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त।                                                                                          | पत्रांक-2411/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 18.07.2019                     |
| 12. | उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० प्रबन्धन के मध्य दिनांक 17.07.2019 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त।                                                                                                  | पत्रांक-2412/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 18.07.2019                     |
| 13. | उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।                                                                                                                                                                                   | पत्रांक-मेमो०/ दिनांक 17.07.2019                                    |
| 14. | प्रोन्नत एवं नव नियुक्त अवर अभियन्ता (वि० एवं या०) एवं सहायक अभियन्ताओं (वि० एवं या०) की ज्येष्ठा के सम्बन्ध में वार्ता हेतु उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन, एवं उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र।      | पत्रांक-2358/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 16.07.2019                     |
| 15. | अवर अभियन्ता संवर्ग द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय में किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन को प्रेषित पत्र।                                                                                      | पत्रांक-2348/निदे०(मा०सं०)<br>दिनांक 16.07.2019                     |
| 16. | अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति में अनावश्यक अडंगा लगाये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।                                                                                       | पत्रांक-3159/उ०पा०जू०ई०ऐ०<br>दिनांक 15.07.2019                      |
| 17. | अवर अभियन्ता संवर्ग के साथ किये जा रहे पक्षपात एवं उत्पीड़न के विरोध में आन्दोलन की सूचना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र।                                                                          | पत्रांक-3158/उ०पा०जू०ई०ऐ०<br>दिनांक 05.07.2019                      |

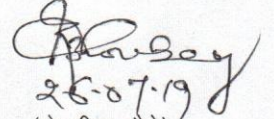
**क्रमशः :- 04**

|    |                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 18 | मा0 लोक सेवा अधिकरण में योजित वाद संख्या 01/NB/DB/2017 (राहुल चानना बनाम यू0पी0सी0एल0) में दिनांक 22.05.2019 को पारित आदेश के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पत्र। | पत्रांक-52/महासचिव/UPSE A 2018 दिनांक 11.07.2019   |
| 19 | श्री आई0पी0 गैरोला, अधिवक्ता का पत्र।                                                                                                                                                  | पत्र दिनांक 12.07.2019                             |
| 20 | विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा अग्रसारित श्री राकेश शर्मा एवं अन्य, 75/2, राजपुर रोड, देहरादून का पत्र दिनांक 03.12.2012                                       | पत्रांक 455/मा0मु0म0आ0का0 / 2012 दिनांक 04.12.2012 |

बैठक दिनांक 23.07.2019 को कमेटी द्वारा उपलब्ध समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों (मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल व मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित उपरोक्त समस्त रिट/आदेश/अन्तरिम आदेश, Service of Engineers Regulation 1970, Subordinate Electrical & Mechanical Engineering Service Regulation 1972, UPSEB Sewak Seniority Regulation 1998, उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन और उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन व प्रबन्धन के मध्य हुये पत्राचार की प्रतियाँ एवं एसोसिएशनों के साथ प्रबन्धन की हुयी वार्ता के कार्यवृत्त की छायाप्रतियों) का अवलोकन एवं परीक्षण करते हुए विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वर्णित वादों में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल/माननीय अधीकरण द्वारा पारित आदेश/अन्तरिम आदेश से सम्बन्धित समस्त हितधारकों यथा वर्तमान में कार्यरत/पदोन्नत एवं सेवानिवृत्त समस्त अवर अभियन्ताओं को उनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में 02 सप्ताह के भीतर अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष रखने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाय।

अतः इस नोटिस के माध्यम से नैसर्गिक एवं पारदर्शी न्याय की दृष्टि से आपसे अनुरोध है कि अपनी ज्येष्ठा के सम्बन्ध में अपना पक्ष लिखित/मौखिक रूप में 02 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय न्यायालय/अधीकरण द्वारा पारित आदेशों की अनुपलना में कारपोरेशन स्तर से सम्यक् रूप से अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :- उपरोक्त इंगित समस्त अभिलेख विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित हैं।

  
26-07-19  
(के0बी0 चौबे)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) (प्रभारी)